न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला,आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 02/2015 अन्तर्गत धारा 225 आर0टी0एक्ट0

उनवान :– 1. बोदनराम पुत्र श्री छोटू, जाति अहीर, निवासी ग्राम साथलपुर, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राज0)

---अपीलान्ट

बनाम्

1. सुरजी देवी पुत्री श्री जीवणा, जाति स्वामी
2. असरा देवी पुत्री श्री जीवणा, जाति स्वामी निवासीयान ढाणी दौलतसिंह तन झझारपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर
3. संतरा पुत्री गणपत पत्नी श्री बनवारी, जाति स्वामी
4. सुल्लड़ पुत्र श्री मेवा, जाति स्वामी
5. कालिया पुत्र श्री मेवा, जाति स्वामी
6. गीता पुत्री श्री मेवा, जाति स्वामी निवासीयान ग्राम ईस्माइलपुर, तहसील किशनगढ़, जिला अलवर (राज0)
7. मु0 मांगी बेवा रामावतार, जाति स्वामी
8. महेन्द्र दास पुत्र श्री रामावतार, जाति स्वामी निवासीयान ढाणी दौलतसिंह तन झझारपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर
9. जगदीश पुत्र श्री रामनाथ, जाति अहीर
10. हरिराम पुत्र श्री रामनाथ, जाति अहीर निवासीयान ग्राम कानपुरा, तहसील बानसूर, जिला अलवर (राज0)

---रेस्पोडेन्ट

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर बहरोड़ दिनांक

27/03/2001

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री राजेश कुमार गुप्ता,

कु. अल्का शर्मा

2. वकील रेस्पो0 असल :– श्री मोहर सिंह मीना

निर्णय दिनांक– 25.02.2021

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर बहरोड़ द्वारा राजस्व वाद सं0 286/95 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2001 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत इस्तकरार हक एंव हुकम इस्तनाई दवाजी डिक्री किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि ख0 नं0 51 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, 170 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम झझारपुर तहसील बानसूर का वास्तविक खातेदार जीवणा था। उनके देहान्त के बाद उनके लडको गणपत व रामावतार ने समभाग में करा लिया। जबकि वादीगण के प्रत्येक का 1/4 भाग होना चाहिये। अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे। तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है।

3. बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि में से ख0 नं0 51 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा हाल नं0 61 रकबा 26 एयर में से 7 बिस्वा यानि 7/21 जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 30.07.1997 को खरीदी है। कब्जा अपीलांट का है। परन्तु वाद पत्र में पक्षकार नही बनाया। इसलिये धारा 96 सी0पी0सी के प्रा0 पत्र के साथ यह अपील पेश की है। अपीलांट तहत अदालत में पक्षकार नही था। इसलिये निर्णय की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। हमको सुनवाई का अवसर मिलना चाहिये। मैं हितबद्ध पक्षकार हूं। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. वकील रेस्पो0 का कथन है कि अपील मियाद बाहर है। ये हितबद्ध पक्षकार नहीं है। दौराने बाद विचारण भूमि खरीदी गई है। ये सदभावी क्रेता नही है। अतः अपील खारिज की जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्को पर गौर किया। अदालत हाजा की पत्रावली में बयनामा दिनांक 30.07.1997 की फोटो प्रति पेश की गई है, जिसके अवलोकन से सिद्ध है कि भूमि खं0 नं0 51 में से 7/21 भाग अपीलांट ने खरीदी है, कब्जा प्राप्त करना भी अंकित है। इस बयनामा के आधार पर अपीलांट का हक बनता है या नहीं, यह तो वाद में अपीलांट के सुनवाई पश्चात तय होगा। परन्तु प्रथम-दृष्टतया वह खरीददार होने के नाते व्यथित पक्षकार है, जिसे सुनवाई का अवसर मिलना चाहिये। अतः धारा 96 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है। चूंकि अपीलांट तहत अदालत में पक्षकार नहीं था। इसलिये नरम रूख अपनाकर देरी को माफ किया जाता है। अपीलांट हितबद्ध पक्षकार होने के नाते उसकी सुनवाई हेतु प्रकरण रिमांड किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय एंव डिक्री दिनांक 27.02.2001 को आराजी खसरा नम्बर 51 वाके ग्राम झझारपुरा तहसील बानसूर की हद तक निरस्त किये जाते है। शेष आराजी की बाबत आदेश यथावत रहेंगे। प्रकरण तहत अदालत को रिमांड कर आदेशित किया जाता है कि वो वाद में आराजी खसरा नम्बर 51 पर उभयपक्ष को सुनवाई एंव साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष वास्ते सुनवाई दिनांक 25.03.2021 को तहत अदालत में उपस्थित हो।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(अशोक कुमार सांखला)

भू-प्रबंध अधिकारी एव पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर